दिल्ली में

जन संघ प्रशासन

के

सौ दिन

प्रकाशक :—

मन्त्री,

जन संघ दल, महानगर परिषद्, दिल्ली

महानगर परिषद् में

जनसंघ दल के सदस्यों की सूचि

नाम	टेलीफोन कार्यालय	टेलीफोन निवास	पता
१. श्री विजयकुमार मल्होत्रा (नेता)	२२४४६५	४४४८८	२४/५ पूर्वी पटेलनगर, नई दिल्ली
२. डा० रामलाल वर्मा	२२२६७२	७७४८६	आई. एफ. ११४-११५ लाजपतनगर नई दिल्ली
३. श्री शिव नारायण सरसुनिया	२२४५७७	५६८१५४	४७८७/४६, रहगरपुरा करौलबाग, नई दिल्ली
४. श्री अमरचन्द्र शुभ (उप नेता)	२२०८६२	२१२७१६	ए ७/१८ कृष्ण नगर दिल्ली
५. श्री एल० के० अडवानी	२२४७२०	४७०६२	
६. श्री श्याम चरण गुप्ता		२२०६७१	४६१७, किशनगंज दिल्ली
७. श्री अनवरअली देहलवी (सह मन्त्री)	२७२०६६ २६१४७०	२६१७२६	२६६२, अनवर भवन कूचा कुतबी बेगम चर्खे वालान दिल्ली
८. श्रीमती बी० शिवकामम्मा	२७४२०६		४२७७, मुरारीलाल गली ४-B दरियागंज दिल्ली
९. श्री देवेन्द्र वर्मा	५४६७३	५४६७३	पार्क एरिया, करौलबाग दिल्ली
१०. श्री धर्मवीर बाली	२६७८६५	५५६५५	बाली इस्पात, लोहामंडी मोतियाखान दिल्ली
११. श्री गोविन्द राम वर्मा	२६१२६८		६६६१/1 मुलतानी ढांडा नई दिल्ली
१२. श्री इन्द्र मोहन सहगल		७०८४८	डी १/२२८, लाजपत नगर नई, दिल्ली
१३. श्री जनार्दन गुप्त (सचेतक)			१८२६, कटरा काशीनाथ दिल्ली-६

आम चुनावों के परिणामों की घोषणा के साथ ही साथ दिल्ली महानगर परिषद् का परिवर्तित नवीन स्वरूप सामने आया। १८ मार्च, १९६७ को नई कार्यकारी परिषद् के कार्यभार सम्भालते ही दिल्ली में एक वास्तविक लोकतन्त्रीय प्रशासन का उदय हुआ। पहली जुलाई को उसके कार्यकाल के एक सौ दिन पूरे हो जायेंगे। किसी नई सरकार या प्रशासन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जन-साधारण के अधूरे स्वप्नों को साकार करने तथा उनकी हालत को सुधारने का प्रयास करना स्वाभाविक ही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात इस नये प्रशासन ने नये विचारों व नये आदर्शों के साथ सरकारी क्षेत्र में कदम रखा है।

यह नया प्रशासन जन-साधारण को अधिक से अधिक सुख व लाभ पहुँचाना चाहता है। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए यह नई कार्यपद्धतियों को अपना कर आगे बढ़ रहा है। किन्तु यह सत्य है कि वांच्छित लक्ष्यों को एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासन का समस्त ढांचा, जिसमें कानूनों को अमल में लाने वाले अधिकारी, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गए नियम और नियमन (क्योंकि दिल्ली प्रदेश राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित केन्द्रीय प्रदेश है) पद्धतियों और एक अर्से से काम में लाए जा रहे तरीकों, व प्रशासन के अधिकारियों को इस प्रकार ढालना होगा कि वे नये आदर्शों, विचारों और लक्ष्यों के अनुरूप बन सकें और जन-साधारण की भरपूर सेवा कर सकें।

किसी भी अन्य राज्य में, जो कि केन्द्रीय शासित दिल्ली प्रदेश के समान केन्द्रीय सरकार के बन्धनों और आदेशों में इतना अधिक जकड़ा हुआ न हो, प्रशासन व्यवस्था सुधारना इतना कठिन नहीं है। किन्तु दिल्ली के लिए यह कार्य कठिन है, क्योंकि कुछ ऐसे विषय जैसे सेवायें, शान्ति व व्यवस्था, भूमि तथा आवास, सुरक्षित विषय रखे गए हैं और वे कार्यकारी परिषद् के अधिकार क्षेत्रों से बाहर हैं। दूसरे उपराज्यपाल के वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार भी उन मामलों में, जो कि कार्यकारी परिषद् के अधिकार क्षेत्रों में आते हैं, अत्यन्त सीमित हैं। छोटी-छोटी बातों के लिए भारत सरकार के अनेक मन्त्रालयों से पूछताछ करनी पड़ती है। तीसरे, प्रशासन के विभिन्न विभागों को उन सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों से पत्र व्यवहार करना होता है, जिनके कि वे आधीन हैं। इसलिए कोई भी उपयोगी योजना तब तक अमल में नहीं लाई जा सकती जब तक कि भारत सरकार के कई मंत्रालयों में से होकर वह वापस नहीं आती। अतएव सारी कार्यवाही में काफी समय लगता है। चौथी बात यह है कि नये प्रशासनिक ढांचे के अस्तित्व में आने से पहले ही बजट बन चुका था और उसे अंतिम रूप दिया जा चुका था। चतुर्थ योजना भी तैयार हो चुकी थी। फलस्वरूप जब तक केन्द्रीय सरकार किसी नई योजना के लिए नये सिरे से धन निर्धारित नहीं करती या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किसी अन्य नई योजना को

शामिल करने की बात स्वीकार नहीं करती तथा उसके लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था नहीं करती, तब तक किसी नये विचार अथवा योजना के लिए कोई गुंजाइश शेष नहीं है।

तथापि उपरोक्त समस्त बाधाओं तथा प्रतिबन्धों के होते हुए भी कार्यकारी परिषद् ने प्रशासन में स्फूर्ति लाने तथा भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए दृढ़ प्रयत्न करने का निश्चय किया है। इस दिशा में कार्यकारी परिषद् ने अपने प्रथम १०० कार्य दिवसों में जो कुछ कदम उठाए हैं वे निम्नलिखित हैं:—

१. प्रशासनिक ढांचे और इससे सम्बद्ध लोगों में स्फूर्ति उत्पन्न की जावे;
२. कार्यविधियों को आसान बनाया जावे तथा निर्णयों में विलम्ब करने वाली बातें दूर की जावें;
३. जन-साधारण की कठिनाइयाँ सुनने के लिए विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को समय मिले;
४. नियुक्तियों, स्थानान्तरणों, भूमि नियन्त्रण इत्यादि के क्षेत्रों में मनमानी करने वाले तत्वों को दूर किया जावे;
५. जन-साधारण को अधिक से अधिक राहत पहुँचाने के लिए परिस्थितियों के अनुसार जो भी सम्भव हो, इस प्रकार के विभिन्न कदम उठाये जावें।

भावी आवश्यकताओं को देखते हुए सुरक्षित विषयों के हस्तान्तरण का प्रश्न, उप-राज्यपाल को और अधिक वित्तीय अधिकार प्रदान करने तथा विभिन्न विभागाध्यक्षों को यह अधिकार बाद में प्रदान करने, विभिन्न मन्त्रालयों और प्रशासन के मध्य अधिक उत्तम समन्वय पैदा करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों से उच्च-स्तर पर वार्ता की गई है। उपयोग के लिये पर्याप्त धनराशि के अभाव में महत्वपूर्ण योजनायें उपेक्षित ही रहेंगी। अतः इस सम्बन्ध में भी भारत सरकार से वार्ता की गई है।

तीन महीने का समय चमत्कारिक उपलब्धियों के लिये बहुत कम है। फिर भी कार्यकारी परिषद् अपने चौदह हफ्तों के बीच किये गए कामों पर सन्तोष कर सकती है। हालांकि बहुत ही सीमित अधिकारों के भीतर से काम करना पड़ा है फिर भी कुछ तरीकों को सफलतापूर्वक चलाया गया है जिसका फल राजधानी के सामान्य नागरिक को कुछ महीनों के बाद मिलेगा और वह समझेगा कि फरवरी १९६७ के बाद में दिल्ली का कलेवर बदल रहा है।

परिवहन और आवास के क्षेत्र में यद्यपि सुखद परिणामों के प्राप्त होने में कुछ समय लगेगा (आगामी सौ दिन) परन्तु शिक्षा जैसे विषय में वर्तमान प्रशासन ठोस परिणामों का दावा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर ८ नये कालिजों और ११ स्कूलों का खोला जाना जिसमें भर्ती योग्य छात्रों को प्रवेश मिल सके कोई

मामूली सफलता नहीं है। अभी तक दिल्ली के हजारों ऐसे छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय के स्तर पर कालेजों में प्रवेश पाने की योग्यता रखते थे भर्ती न होने के कारण पंजाब, मध्यप्रदेश में दाखिले के लिए मजबूर होते रहे हैं और सभी सम्बन्धित इस जटिल समस्या को असहाय से देखते रहे हैं। नये प्रशासन ने इस परिस्थिति को बदलने का संकल्प किया और इसमें सफलता पाई। प्राप्त अन्य ठोस परिणामों को इस प्रकार आंका जा सकता है :—

(अ) शिक्षा विभाग में नियुक्तियों, सिनेमाघर, पैट्रोल पम्प, रिहायशी प्लाटों, उद्योगों के प्लाटों, चीनी के कोटे तथा राशन वाली खाद्य सामग्री का वितरण और परिवहन परमिट जारी करने के मामले में जो मनमानी प्रणालियां चलीं आ रही थीं उन्हें समाप्त कर दिया गया है।
(आ) दिल्ली के स्कूलों में पड़ौसी स्कूल योजना और नैतिक शिक्षा का समावेश;
(इ) तकनीकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में १२० अतिरिक्त स्थानों की बढ़ोतरी करना;
(ई) दिल्ली के लिए चीनी के कोटे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कटौती किये जाने पर भी सामान्य नागरिकों को राशन कार्ड पर दी जाने वाली चीनी की मात्रा में कोई कटौती नहीं की गई जैसा कि अन्य राज्यों में की गई है;
(उ) छोटे तथा मध्यम आय वर्ग वालों के लिए सस्ती जमीन दिलाने के लिये कदम उठाये गये जिससे प्रचलित जमीन की कीमत और किरायों में गिरावट हुई। नागरिक सुरक्षा व गृहरक्षक (होम गार्डस) संगठनों को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाये गए हैं;
(ऊ) कर्ज सम्बन्धी योजनाओं को तुरन्त लागू करने के लिए उपाय किये गए हैं और ऐसे नियम बनाये गए हैं कि ऋण दिलाने में अधिक समय बर्बाद न हो;
(ए) ग्रामीणों के लिए चीनी के कोटे में ५० प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है;
(ऐ) मोटर गाड़ियों के कर जमा करने के लिए दिल्ली और नई दिल्ली के ३६ पोस्ट आफिसों में प्रबन्ध किये गए हैं।
(ओ) सूजी व मैदा को राशन के अन्तर्गत लाया गया;
(औ) जो व्यक्ति अपने राशन में चीनी छोड़ देते हैं उन्हें उसकी बजाय डाई गुना आटा दिया जा रहा है।

अब तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन ने जो कदम उठाये हैं, उनका विवरण इस प्रकार है :

(१) प्रशासनिक ढांचे में सुधार तथा विभिन्न विधियों और पद्धतियों की यथोचित व्यवस्था;
(२) भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात आदि को हटाने तथा योग्यता, न्याय आदि को उचित स्थान दिलाने की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में से जहाँ तक सम्भव हो मनमानी को खत्म करना।

उदाहरणार्थ शिक्षा निदेशालय में भर्ती के तरीकों को सुव्यवस्थित रूप दे दिया गया है, जिसके अनुसार तमाम नियुक्तियों और पदोन्नतियों का आधार केवल योग्यता ही होगी। अध्यापकों की भर्ती के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का प्रतिशत व इसके साथ ही साथ शैक्षणिक कार्य का अनुभव दृष्टि में रखा जायेगा। साक्षात्कार के लिए भी निश्चित आधार निर्धारित कर दिया गया है।

स्थानान्तरण के सम्बन्ध में भी निश्चित सिद्धान्त निर्धारित कर दिये गये हैं, जिससे कि लोग विशेष कठिनाई अथवा पक्षपात से बचे रहें।

बुनियादी शिक्षा की कक्षाओं में प्रधानाध्यापक को मनोनीत करने का जो अधिकार प्राप्त है उसे भी समाप्त करने की योजना है।

औद्योगिक प्लाटों के वितरण के सम्बन्ध में प्रार्थी की भूमि सम्बन्धी आवश्यकता की जांच के लिए निश्चित सिद्धान्त निर्धारित कर दिये गये हैं, जिसका सम्बन्ध उक्त भूमि में स्थापित किये जाने वाले उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या से जोड़ दिया गया है।

गृह निर्माण के लिये सुरक्षित मूल्य पर प्लाटों का वितरण केवल टैण्डर या नीलामी या लाटरी पद्धति द्वारा किया जायेगा।

भविष्य में पैट्रोल पम्पों, सिनेमाघरों, व्यापारिक स्थानों का वितरण भी नीलामी के द्वारा किया जायेगा। पहले बहुत से मामलों में यह स्थान व्यक्तियों को नियमों व उपनियमों का ध्यान रखे बगैर ही निर्धारित कर दिये जाते थे, जिससे पक्षपात करने का अवसर मिलता था। इस प्रकार के वितरण के सम्बन्ध में गड़बड़ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

निर्देशन जारी किये जा चुके हैं कि मैडीकल कालेजों व विभिन्न संस्थानों में प्रवेश योग्यता के आधार पर दे दिया जाए तथा इस संबंध में किसी प्रकार की बड़ी से बड़ी सिफारिश न मानी जानी चाहिये। बड़े उपभोक्ताओं को राशन की वस्तुएं वितरित करने के सम्बन्ध में मनमानी करने से सम्बन्धित समस्त अधिकार समाप्त कर दिये गए हैं और कटौतियों में भी किसी प्रकार का भेदभाव किये बिना एक मात्र प्रतिशत के आधार पर ही कटौतियां करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

प्रत्येक कार्यकारी पार्षद और विभाग के अध्यक्ष ने जनता से मुलाकात करने के लिए १२ और १ के मध्य एक घण्टा निश्चित किया हुआ है। यद्यपि उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) से मुलाकात करने का समय प्रातः ६ से ११ बजे तक ही है।

अधिकारों की मांग

दिल्ली केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र होने के नाते इसके बजट की व्यवस्था गृह मंत्रालय की क्षेत्रीय मांग में से की जाती है। करों या अन्य प्रकार से जो राजस्व प्रशासन अर्जित करता है, वह भारतीय संचित निधि में जमा कर दिया जाता है। बजट में की गई व्यवस्था व प्रशासन द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप अर्जित राजस्व के मध्य कोई

सम्बन्ध नहीं है। इसलिए राजस्व या आय के साधन बढ़ाने व अतिरिक्त साधन खोजने या राजस्व की चोरी बन्द करने के सम्बन्ध में प्रशासन कोई दिलचस्पी नहीं लेता। प्रशासन समाज कल्याणकारी उपाय, जैसे वृद्धों को पेंशन देने की योजना, विधवाओं के लिए आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था, हरिजन विद्यार्थियों को अधिक से अधिक छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था लागू करना चाहता है। वित्तीय व्यवस्था की यही जकड़ताबन्द विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तकें देने के मार्ग में एक बड़ी रुकावट है। मुख्य कार्यकारी पार्षद् ने उपप्रधान मन्त्री से इस मामले पर विचार-विमर्श किया था कि यदि प्रशासन अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने या मितव्ययता करने में सफल हो जाये तो इसे नई योजनायें लागू करने की स्वतन्त्रता मिल जानी चाहिए। उप-प्रधानमन्त्री की प्रतिक्रिया सहानुभूतिपूर्ण थी, किन्तु अभी तक इस बारे में कोई निश्चित फैसला नहीं हुआ है।

बजट प्रस्तावों का निरीक्षण करने के पश्चात् महानगर परिषद् को यह ज्ञात हुआ कि इसमें की गई व्यवस्थायें राजधानी की आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से सर्वथा अपर्याप्त हैं और कार्यकारी परिषद् में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार से अनुरोध किया है कि बजट में वृद्धि की जाये तथा इसमें १० करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि सम्मिलित कर दी जाये। मुख्य कार्यकारी पार्षद् ने उप-प्रधानमन्त्री से इस विषय पर विचार-विमर्श किया था और कार्यकारी परिषद् तथा उप-राज्यपाल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजे जा चुके हैं। विचार-विमर्श के समय बजट की यथोचित व्यवस्था करने और कार्य पद्धतियों से सम्बन्धित विभिन्न रुकावटों और कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में सुझाव भी दिये जा चुके हैं।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी परियोजनाओं की स्वीकृति, प्रथम श्रेणी के नये पदों की स्थापना, प्रशासनीय स्वीकृति की प्राप्ति तथा अधिक लागत आने वाले निर्माण कार्यों के खर्च की स्वीकृति, ऋणों, अनुदानों तथा कोषों के पुनर्विनियोग व अन्य ऐसी बातों के सम्बन्ध में भारत सरकार से जो पत्र व्यवहार प्रायः करना पड़ता है, उसके सम्बन्ध में भी केन्द्रीय मंत्रालयों के विचार करने में बहुत समय लगता है। कभी-कभी तो विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने में महीनों, यहाँ तक कि वर्षों की देर लग जाती है। एक मामूली सी बात ले लीजिये। प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण शाखा के मुख्य अभियन्ता और चार कार्यकारी अभियन्ताओं के पद चार महीने तक बिना स्वीकृति के पड़े रहे और ये अधिकारी बिना वेतन के काम करते रहे। मुख्य कार्यकारी पार्षद् के स्वयं हस्तक्षेप करने पर ही ७ जून, १९६७ को इनके पदों को स्वीकृति प्रदान की जा सकी। यह भी केवल ३१ मई, ६७ तक की अवधि तक के लिए। बिजली और सिंचाई मन्त्री ने मुख्य कार्यकारी पार्षद् ने अनावश्यक लिखा पढ़ी के कारण देरी लगने के सम्बन्ध में खेद प्रकट किया। इसी प्रकार के बहुत

से मामलों में से यह एक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन के पास पर्याप्त अधिकारों की कमी के कारण मामले अनिर्णित ही रह जाते हैं।

उप-प्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री से इस सम्बन्ध में विचार किया गया था और उन्होंने इस बात से सिद्धान्ततः सहमति प्रकट की कि उप-राज्यपाल को व्यापक अधिकार दिये जाने चाहिएँ। इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

उच्च स्तर पर समस्याओं के हल के लिए गृहमन्त्री व शिक्षा मन्त्री से विशेष प्रस्तावों के बारे में विचार-विमर्श होता रहता है। गृह मन्त्री से निम्न विषयों पर विचार किया गया :—

१. कार्यकारी परिषद् के पर्यवलोक के उपरान्त सुरक्षित विषयों का हस्तान्तकरण :—गृह मन्त्री ने परिषद् को आश्वासन दिया है कि सेवा, भूमि तथा आवास सम्बन्धी मामलों में जहां तक संभव होगा अधिक से अधिक अधिकार सौंपने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जायेगा।

२. अधिकारों का हस्तान्तरण :— गृह मन्त्री के सामने यह भी प्रस्ताव किया गया था कि अधिकारों के हस्तान्तरण से कामकाज को निपटाने में शीघ्रता और सुगमता होगी और मन्त्रालयों से पत्राचार व स्वीकृति प्राप्त करने में जो व्यर्थ समय नष्ट होता है, उससे छुटकारा हो जायेगा। गृह मन्त्री ने इस सम्बन्ध में ठोस सुझाव मांगे हैं।

दिल्ली प्रशासन के कार्यालयों के लिए आवास के प्रश्न पर गृहमन्त्री ने प्रदर्शनी स्थल में कार्यालयों के लिए कोई व्यवस्था करने के प्रश्न पर शीघ्र विचार करने की बात स्वीकार की।

दिल्ली की बढ़ रही जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से सफदरजंग हवाई अड्डे को पालम में ले जाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया।

३. २०-५-६७ को शिक्षामन्त्री से विचार-विमर्श—शिक्षा विभाग सम्बन्धी बहुत सी चिरकाल से प्रतीक्षित समस्याओं पर शिक्षामन्त्री श्री त्रिगुण सेन से मुख्य कार्यकारी पार्षद् ने जो वार्तालाप किया, उसमें निम्न बातों पर सहमति प्रकट की गई :—

(अ) शिक्षकों के वेतन स्तर में वृद्धि के प्रश्न को प्राथमिकता दी जाये, क्योंकि गत बीस वर्षों में इस मामले पर कोई पग नहीं उठाया गया।

(आ) शिक्षकों के लिये चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जाये।

(इ) दिल्ली की साहित्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक साहित्य अकादमी अथवा कला समिति की स्थापना की बात मान्य होगी।

(ई) दिल्ली के लिये एक अलग उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मण्डल की स्थापना के प्रश्न पर फिर विचार किया जा सकेगा।

(उ) दिल्ली के शिक्षकों सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक प्रशिक्षण कालेज की स्थापना की जाये।

(ऊ) प्राथमिक व उच्चतर माध्यमिक दोनों स्तरों पर सीमित संख्या में विद्यालयों का आधुनीकीकरण।

(ए) शिक्षकों के लिए २.५ करोड़ रुपये की लागत के मकान बनवाने के लिये प्रस्ताव तैयार करना। शिक्षामन्त्री ने इस सामाजिक आवश्यकता को उचित ठहराया और इसे स्वीकार करने के बारे में सहमति प्रकट की।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री से विचार-विमर्श

इस बार गर्मी के मौसम में दिल्ली के नागरिकों को हर साल की तरह जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस सम्बन्ध में पंजाब व हरियाणा के मुख्य मन्त्रियों से पहले ही बातचीत हो चुकी है और दिल्ली को लगातार जल सप्लाई करने की ओर उचित कार्यवाई कर ली गई है। इस प्रकार १३५ एम० जी० डी० (२५० क्यूसैक्स) की सप्लाई की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में सिंचाई व बिजली मन्त्री से भी बातचीत की गई है जिसके अन्तर्गत निम्न फैसले किये गये :—

(क) यमुना नदी के पानी को गन्दगी से बचाने के लिये शीघ्र एक योजना तैयार करना।

(ख) शिविरों में रहने वाले मल की निकासी के लिये एक और योजना तैयार करना ताकि यमुना बाजार के इलाके से पानी न घुस सके और इस बस्ती से वर्षा का पानी भी पम्प द्वारा निकाला जा सके।

(ग) राजघाट के निकट बनाये जा रहे शिविरों में से यमुना में जाने वाले मल की निकासी के लिये योजना तैयार करना।

प्रारम्भिक जाँच पड़तालों से मालूम हुआ है कि यमुना नदी से पानी की निकासी लगभग तीन मील की दूरी पर करने के लिये हरियाणा राज्य के औरंगपुर गाँव में एक अच्छा जलाशय बनाया जा सकता है और इस ढंग से दिल्ली को वर्ष में लगभग ७५ एम० जी० डी० की नियमित सप्लाई हो सकती है। सिंचाई व बिजली मन्त्री से इस विषय पर बातचीत की गई।

परिवहन

मुख्य कार्यकारी पार्षद् ने दिल्ली परिवहन की समस्याओं पर केन्द्रीय परिवहन व संचार मन्त्री से बातें की और अधिक बसों की खरीद की व्यवस्था करने पर बल दिया। साथ ही दस लाख रुपये की कीमत के फल पुर्जों के आयात के लिये एड-हॉक स्तर पर परिवहन को लाइसेंस जारी करने का अनुरोध किया। ४० लाख रुपये की पहली अग्रिम ऋण राशि मुहैया करने तथा अन्य परिवहन प्रतिष्ठानों जैसे बम्बई और मद्रास राज्य परिवहन से तकनीकी अधिकारियों की सेवायें उपलब्ध करने के लिये भी कहा गया, जिससे कि दिल्ली परिवहन बेड़े के सुचारु प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने के बारे में वे अपनी सिफारिशें दे सकें।

हो सकता है कि दिल्ली परिवहन द्वारा निजी बसों को लेने के प्रश्न पर कुछ क्षेत्रों से विरोध प्रकट किया जावे परन्तु जनता की सुविधाओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये दिल्ली परिवहन का यह पग ठीक ही सिद्ध होगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली परिवहन ने योजना आयोग के सम्मुख अधिक राशि प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था, परन्तु आयोग ने ९ करोड़ रुपये की राशि स्वीकार की, जो प्रतिवर्ष के हिसाब से १ करोड़ ८० लाख रुपये बनती है। पहले दो वर्षों में ३ करोड़ ६० लाख रुपये के स्थान पर २ करोड़ ७० लाख रुपये ही दिये गये। यदि इन दो वर्षों की कमी को पूरा किया जाये तो ९० लाख रुपये की अतिरिक्त राशि चालू वर्ष में मिलेगी, जिससे दिल्ली परिवहन के बेड़े में सौ और बसों की बढ़ोतरी की जा सकेगी।

आजकल परिवहन के बेड़े में १०८० बसें हैं जिनमें कुछ डबलडेकी, ट्रेलर बसें व ६० निजी बसें भी शामिल हैं। इनमें से ४३८ पाँच वर्ष से कम पुरानी हैं, ३१८ पाँच और दस वर्ष पुरानी और २६४ दस वर्ष से अधिक पुरानी हैं। दिल्ली परिवहन का ८० प्रतिशत बेड़ा क्रियाशील है।

दिल्ली परिवहन का चौथी योजना के दौरान १०५५ नई बसें खरीदने का लक्ष्य है। पहले ७०० पुरानी बसों को बदलने का प्रस्ताव था, यह अब ५०० कर दिया गया है। इस प्रकार ५०० नई बसों को बेड़े में जोड़ा जा सकेगा, जिससे चौथी योजना की समाप्ति तक बेड़े में सेवा योग्य बसों की संख्या लगभग १५०० हो जायेगी। लेकिन यह तभी संभव हो सकेगा, बशर्ते कि २०० बसों का सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाये।

दिल्ली परिवहन वित्तीय रुकावट के कारण अपने बेड़े के लिए बसें खरीदने में असफल रहा तथा इसकी वृद्धि नहीं कर सका। ऐसी दशा में इसे निजी तथा अन्य राज्यों से भाड़े पर बसें लेने का प्रबन्ध करना पड़ा। निजी बस चलाने वालों से टेन्डर मांगे गये, जो १० जून को खोले गये। बहुत से आवेदन स्वीकार किये गये। १०५ अतिरिक्त बसों को भी स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ३० जून तक उन्हें उत्तर भेजने को कहा गया है। हर बस १०,०५० रुपया प्रतिमास दिया जायेगा। और ये बसें दिल्ली परिवहन के मार्गों में से किसी पर चलाई जायेंगी।

१६० नई बसों को खरीदने का विचार है। ये नई बसें अगले महीने से आनी शुरू हो जायेंगी। हरियाणा व पंजाब की सरकारों से भी लिखा पढ़ी हो रही है और इनके उत्तर की फिलहाल प्रतीक्षा है।

दिल्ली परिवहन में ऐसी छोटी (मिनी) बसों को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया है, जिनमें १४ यात्रियों के लिये स्थान होगा। इन बसों को घनी आबादी वाले तंग मार्गों पर चलाया जायेगा। ये बसें ४० से ४५ किलोमीटर तक की दूरी प्रतिदिन तय कर सकेंगी।

परिवहन निदेशालय

जनता को आने जाने की परेशानी से बचाने के लिये अनेक प्रकार के पग उठाये गये हैं। टैक्सी और स्कूटरों की व्यवस्था की गई है।.........आटो-रिक्शा ड्राईवर जो यात्रियों के साथ केवल बुरा व्यवहार ही नहीं करते बल्कि उन्हें जिस स्थान को वे जाना चाहें वहां पहुँचाने से इंकार भी कर देते हैं, उन पर कड़ी निगाह रखने के लिये १ अप्रैल, १९६७ से ३१ जून, १९६७ की अवधि में पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। यात्रियों को इच्छित स्थान तक ले जाने से इंकार करने या ज्यादा किराया लेने या बुरे व्यवहार के कारण ११५ आटो-रिक्शा ड्राइवरों के चालान किये गए हैं और ९४८ टैक्सियों पर मुकदमे चलाए गए हैं।

मोटर गाड़ी टैक्स जमा करने में जनता की असुविधा को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट कार, स्कूटर और मोटर साइकिल वालों को दिल्ली और नई दिल्ली के ३३ डाकघरों में टैक्स जमा करने की सुविधा दी जा रही है।

राशनिंग व नागरिक सम्भरण

चीनी की कमी - चीनी के कोटे में कटौती के होते हुए भी सामान्य उपभोक्ता को दी जाने वाली चीनी की मात्रा में कोई कमी नहीं की गई है। इसके स्थान पर थोक-उपभोक्ताओं के कोटे में कटौती की गई है। ये थोक उपभोक्ता व्यावसायिक कार्यों में चीनी की खपत करते हैं और इसका कोई दुष्प्रभाव आम जनता पर नहीं होगा। फिर भी दिल्ली प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार से चीनी की प्राप्ति के बारे में प्रयास कर रहा है। २ मई, १९६७, से चीनी के बने पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

खोये पर प्रतिबन्ध

आम नागरिक को दूध की नियमित उपलब्धि हो सके यह बात सुनिश्चित करने के लिये और दूध के मूल्य की वृद्धि रोकने के उद्देश्य से खोया तथा उससे बनने वाली मिठाइयों को तैयार करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इनके आयात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

कीमतों का बढ़ना रोकने के लिये कार्यवाही

बढ़ती हुई कीमतों का आम आदमी पर बड़ा असर पड़ता है। गत तीन वर्षों में चीजों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। परन्तु इस मामले का सीधा सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई गई वित्तीय नीतियों व बहुत से ऐसे कारणों से है जिन पर दिल्ली प्रशासन का कोई वश नहीं है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करने के बारे में कुछ पग उठाये गये हैं जिनमें हरी सब्जियों को ठंडे गोदामों में जमा करने पर प्रतिबन्ध, दिल्ली से दालें निर्यात करने पर प्रतिबन्ध और टायरों तथा ट्यूबों को संस्थाओं को न देकर निजी उपभोक्ताओं को देना सम्मिलित है।

कड़ी जाँच करने पर १०९२७ कार्ड सरेन्डर या रद्द किए जा चुके हैं और २०६०६६ अनाज के यूनिट तथा ११८८५२ चीनी के यूनिट समाप्त कर दिए गए हैं। १४५ मामलों में मुकद्दमा चलाया गया।

शिक्षा

दिल्ली में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने के विभिन्न उपायों के सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री से चर्चा की गई और अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दाखिले की समस्या तात्कालिक है। प्रयास किया जा रहा है कि हर प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थी को माध्यमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ हो। १६५०० छात्रों को माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दाखिला मिला। मिडिल और उच्चतर माध्यमिक (११ से १७ वर्ष की उम्र तक) २०००० दाखिलों के अवसर के स्थान पर प्राप्ति लगभग १६००० है। ११ नये सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गए, नगर निगम द्वारा ८ मिडिल और १६ प्राइमरी स्कूल तथा नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा १ मिडिल स्कूल खोला गया। ६ नये कालिज जिनमें ३ विज्ञान कालिज शामिल हैं खोले गए। इसके अतिरिक्त नरेला में भी एक कालिज खोलने का प्रस्ताव चल रहा है।

तेजी से बदलते हुए सामाजिक वातावरण और नगर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जुलाई, १९६८ से स्कूलों में शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार चरित्र से सम्बन्धित शिक्षा आरम्भ करने का निर्णय किया गया है।

निर्धन तथा जरूरतमन्द विद्यार्थियों को पहली बार पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क दी जायेंगी।

पड़ोस के स्कूल में दाखिले की योजना वर्तमान कमियों को दूर करने के लिए एक क्रान्तिकारी उपाय है जिससे किसी क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा और समान अवसर मिल सकता है। आरम्भ में वर्तमान १२ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (८ लड़कों के लिए और ४ लड़कियों के लिए) को नेबरहुड स्कूलों में पहली श्रेणी से बदलने का विचार है। इससे १२ क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी होगी। नेबरहुड स्कूलों द्वारा अभिभावकों को क्षेत्रीय स्कूलों में शिक्षण कार्य के सुधार आदि में सक्रिय दिलचस्पी लेने का अवसर मिलेगा और एक प्रकार की समानता का वातावरण बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में २ नए विचार भी आरम्भ किए गए। उनमें पहला यह है कि किसी एक क्षेत्र में कुछ मिडिल स्कूल उच्चतर माध्यमिक स्कूलों से सम्बद्ध कर दिए जायेंगे और इन मिडिल स्कूलों से पास होने वाले विद्यार्थी निर्दिष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दाखिल किए जायेंगे। समाज के तथाकथित उच्च लोगों के बच्चों का दाखिला उन स्कूलों का स्तर ऊँचा करेगा। इसी तरह से खराब क्षेत्रों (कलम एरिया और झुग्गी झोंपड़ी एरिया) में बढ़िया स्कूल खोलने का विचार है और जिन स्कूलों का परिणाम खराब रहा है उनमें बहुत अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी। इससे कुछ चोटिल स्कूलों का स्तर ऊँचा होगा और आम जनता का हित होगा।

सस्ते दामों पर जमीन और मकान

१९६० में बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण और विकास की योजना चलाई गई जिससे भूमि, इमारतों की कीमत और किराये बढ़ने से रोके जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार के पग उठाने के बावजूद भी जमीन और इमारतों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अतः योजना की सफलता के साथ जांच आवश्यक थी और निम्न तथा मध्य आय वालों को सीधे नीलाम द्वारा या ८० रुपये या १०० रुपये उससे भी अधिक प्रति वर्ग गज की दर से प्लाटों की नीलामी के स्थान पर उचित शर्तों पर भूमि और इमारत की व्यवस्था करने के मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये कुछ आरम्भिक कदम उठाये गए हैं।

इस सम्बन्ध में उठाये गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:—

(१) निम्न और मध्यम वर्ग आय वालों को उचित शर्तों पर जमीन देने के लिए २०० वर्ग गज के प्लाटों का नीलाम करने का स्थाई निर्णय लिया गया है।

(२) अब तक पंखा रोड और वजीरपुर कालोनियों में निम्न आय वर्ग वालों को जमीन ४० रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से दी जाती थी। यह दर कम करके २० रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से दी जा रही है।

(३) डी० डी० ए० का लो-इन्कम ग्रुप के लिए १५००० फ्लैट बनाने का प्रस्ताव था। यह लक्ष्य १९६७ में १००० तथा १९६८ में २००० कुल ३००० तक बढ़ा दिया गया है।

(४) डी० डी० ए० की एक योजना एल० आई० सी० से कर्ज लेकर फ्लैट बनाने और उन्हें किराया खरीद के आधार पर कम और मध्य आय के लोगों को देने की थी। विभिन्न शर्तों तथा खरीददार की उम्र को ध्यान में रखते हुये १० प्रतिशत कीमत तत्काल तथा शेष कीमत छोटी मासिक किश्तों में वसूल की जायेगी। इस योजना पर कार्य नहीं किया जा सका क्योंकि एल० आई० सी० द्वारा इस सिलसिले में दिल्ली प्रशासन से लिए जाने वाले ब्याज से सम्बन्धित कठिनाई थी। केन्द्रीय सरकार से लिये जाने वाले साढ़े पाँच प्रतिशत के स्थान पर एल० आई० सी० दिल्ली प्रशासन को एक राज्य मान कर सवा छः प्रतिशत ब्याज लेना चाहता था। इस पर वित्त मन्त्रालय ने आपत्ति की। उप-प्रधान मन्त्री तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में चर्चा के पश्चात् यह कठिनाई दूर हो गई है और अब डी० डी० ए० सवा छः प्रतिशत पर ऋण लेकर कार्य आगे बढ़ा सकती है।

(५) लो इन्कम ग्रुप की भलाई को ध्यान में रखते हुए ७५ प्रतिशत रिहायशी प्लाट २०० वर्ग गज या उससे कम को बनाने का निर्णय किया गया है।

(६) अभी तक केवल पूर्ण विकसित प्लाट ही जनता को दिए जा रहे हैं। अब ऐसे अर्ध-विकसित प्लाट जनता को देने का निर्णय किया गया है जहाँ ट्यूबवैल और सैपटिक टैंक तथा खुले नालों आदि सुविधाओं की व्यवस्था हो। वजीरपुर, झिलमिल तिहाड़, पंखा रोड आदि में निकट भविष्य में ही इस प्रकार के २००० प्लाट सुलभ किये जायेंगे।

(७) डी० डी० ए० द्वारा विकसित किये जाने वाले रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्रों में निगम द्वारा जब तक पानी की रेगुलर सप्लाई की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक ट्यूब वैल्स द्वारा पानी देने का प्रबन्ध किया जायेगा ।

(८) रिहायशी और मान्यता प्राप्त क्षेत्रों से अहितकारी तथा खतरनाक उद्योगों को हटाने का कार्य सबसे पहले किया जाएगा । क्योंकि मास्टर प्लान के अधीन जिस अवधि की उन्हें अनुमति दी गई थी वह समाप्त हो गई है । ऐसे उद्योगों को इस कार्य के लिए विकसित किये जा रहे क्षेत्रों में प्लाट दिये जायेंगे और इन्हें अपने वर्तमान स्थान से ६ महीने के अन्दर हट जाना होगा । दिल्ली नगर निगम से ऐसे गैर प्रमाणित क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों के लाइसेंस रद्द करने को कहा जायेगा ।

इन निर्णयों का परिणाम पर्याप्त उत्साहवर्द्धक है क्योंकि कुछ बस्तियों में किराये १५ प्रतिशत से २० प्रतिशत तक कम हो रहे हैं । कुछ कालोनीज में जमीन की कीमतें भी १५ से ६० रुपए प्रति वर्ग गज कम हो रही हैं । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वजीरपुर में किए गये कुछ नीलामों में जमीन की कीमत ६० से ७० रुपये वर्ग गज मिल सकी जबकि पिछले वर्ष नरायणा में ८० रुपये और उससे अधिक प्रति वर्ग गज तथा मथुरा रोड में १२० रुपये से १३० रुपये प्रति वर्ग गज थी । जब भी यह निर्णय कार्य रूप में लाये जायेंगे जमीनों और इमारतों की कीमतें और भी घटने की आशा है । और भूमि और आवास विभाग पिछले ६-७ साल से जिस लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहा है उसमें ६ महीने या साल भर में ही अब सफलता मिलने की आशा है ।

उत्तर प्रदेश और पंजाब में अनधिकृत बस्तियों को नियमित करना

दिल्ली के जो नागरिक दिल्ली में उचित प्लाट नहीं पा सके, उन्होंने उत्तर-प्रदेश तथा पंजाब के नजदीक के कस्बों में भूमि खरीद ली । इस प्रकार करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके थे । फिर भी इस प्रकार की बस्तियों में उचित सुविधायें नहीं हैं और अनधिकृत मानी जा रही हैं । मुख्य शासुक्त ने उत्तरप्रदेश तथा पंजाब के मुख्य मन्त्रियों से इस प्रकार की अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने तथा आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में बातचीत की थी ।

वाटर सप्लाई

इस वर्ष राजधानी में जो पानी की कठिनाई रहा करती थी वह नहीं रही । और १२५ एम० जी० डी० (२५० क्यूसेक) पानी की सप्लाई सम्भव हुई । इससे औसतन प्रति व्यक्ति प्रति दिन ४० गैलन पानी की सप्लाई हुई । इस सम्बन्ध में पानी की सप्लाई बढ़ाने और नये स्रोतों की खोज के बारे में किये गये या किये जाने वाले कुछ कार्य निम्नलिखित हैं :—

१—लगभग एक सौ मील की दूरी से प्राप्त करने के बजाये दिल्ली क्षेत्र में मुनाक से तथा डाइवर्जन ड्रेन नं० ८ से, जो कि गाजीयाबाद से २० मील की दूरी पर बागपत के पास यमुना नदी से मिलता है, सप्लाई प्राप्त करने का प्रस्ताव है ।

२—गाजियाबाद में १५ ट्यूब वैल खोदने का निर्णय है जिससे १० एम० जी० डी० की प्राप्ति होगी ।

३—लोनी के नजदीकी स्थानों में एक्सप्लोरेटरी कार्य शुरू करने का निर्णय जिससे लगभग ३०० फीट की गहराई पर भूमिगत पानी के प्राप्त हो सकने की बात निश्चित हो यह काम ज्यूलोजिकल सर्वे आफ इंडिया को सौंपा गया है ।

४—नगर निगम द्वारा रेडियल कुएं खोदने का प्रस्ताव आरम्भ में ५ एम० जी० डी० की प्राप्ति के लिये ३० लाख रुपये की लागत पर दो कुएं खोदे जायेंगे ।

५—प्रारम्भिक जांच के आधार पर यह पता लगा है कि तीन मील की दूरी तक यमुना नदी से पानी खींचने के लिये औरंगपुर (हरियाणा राज्य) में स्टोरेज कुएं बनाये जा सकते हैं । इससे दिल्ली को साल भर में ४५ एम० जी० डी० के करीब सप्लाई नियमित रूप से मिल सकती है । यह एक ऐसी योजना है जिससे पानी की सप्लाई पर्यटकों को बढ़ावा और मछली पालन तथा परिरक्षण आदि अनेक लाभ होंगे ।

महानिरीक्षक पुलिस के साथ विशेष सैल की स्थापना

बेईमानी व धोखेबाज कालोनाइजरों तथा कम्पनियों द्वारा सताये गये नागरिकों को शीघ्र न्याय दिलवाने के उद्देश्य से विभिन्न चिट कम्पनियों, वित्त कम्पनियों तथा कालोनाइजरों के धोखेबाजी के मामलों की छानबीन करने के लिये एस० पी० क्राइम ब्रांच के अधीन आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की एक अलग सैल स्थापित की गई है ।

दिल्ली में ड्राई-पोर्ट

वर्तमान प्रबन्धों के अनुसार, दिल्ली से अथवा उत्तरी क्षेत्र के किसी इलाके से निर्यात करने वाले को पहले अपना माल बम्बई अथवा कलकत्ता, रेलगाड़ी अथवा सड़क द्वारा भेजना पड़ता है । इस कार्य में उसे चुंगी-शुल्क आदि का स्थानीय कर देना पड़ता है । कभी-कभी जहाज में स्थान के लिये उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इस समय में उसका माल प्रकृति पर निर्भर खुला पड़ा रहता है, कभी कभी पैकिंग दोषपूर्ण होने से वस्तुएँ खराब हो जाती हैं, छोटी मोटी चोरी से भी नहीं बचा जा सकता । इसके बाद, निर्यात करने वाले को जहाज की गतिविधि पर भी सदैव ध्यान रखना पड़ता है । इससे जनशक्ति धन आदि की पर्याप्त बर्बादी होती है । इस कार्य में निर्यात करने वाला थक जाता है तथा निर्यात के लिये उसका उत्साह समाप्त हो जाता है । उत्तरी क्षेत्र से निर्यात में आने वाली इन वास्तविक कठिनाइयों से बचने के लिये दिल्ली में ड्राई-पोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव है । इस संबंध में एक ठोस योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई है ।

छोटी सिचाई योजनायें

इस समय दिल्ली की कृषि-भूमि का केवल ३३ प्रतिशत पर (२,४६,४२७ में से ८३,१०१) उचित रूप में सिचाई की जाती है । इस मामले को सबसे अधिक

प्राथमिकता दी गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि गांवों में बड़े पैमाने पर ट्यूबवैल लगाये जायें । उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा राज्यों से आने वाली नहरों से सिंचाई के संबंध में कठिनाइयों को दूर करने के लिये उन राज्यों से सीधी बातचीत की गई थी ।

उपायुक्त के कार्यालय की राजस्व इकाई

उपायुक्त कार्यालय की कर-वसूल करने वाली शाखा को भू-राजस्व, जल-कर तकावी कर्ज, आय-कर आदि जो भारी मात्रा में बकाया है, वसूल करने हैं । वर्तमान करों की वसूली के लिये जो अमला लगाया गया है, उसकी संख्या बहुत कम है । क्योंकि लाखों रुपया बकाया है इसलिये इस कार्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये योजना बनाई गई है । इस सम्बन्ध में निम्न कदम उठाये गये हैं :—

१—नई कानूनी बन्दोबस्ती की स्थापना जिससे गांव, जहां पर लम्बरदारी प्रणाली चालू है, में भू-राजस्व की शीघ्र वसूली होगी ।

२—शेष तकावी कर्जों की नियमित व सन्तोषजनक वसूली के लिये नये तकावी नियमों का प्रारूप बनाना ।

३—वसूली-स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य के समय में तब्दीली ।

तकनीकी शिक्षा

तकनीकी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में स्थानों की संख्या ४८० से घटा कर ४२० करने का फैसला किया गया था लेकिन अब यह संख्या ५४० तक बढ़ाने का फैसला किया गया है । इस प्रकार १२० स्थानों की वृद्धि हो गई है । प्रशिक्षण के लिये अधिक नई प्रकार के विषय प्रदान करने के प्रश्न पर भी ध्यान दिया जा रहा है । अगले वर्ष से निम्नलिखित योजनायें बनाने का प्रस्ताव है :—

१—नजफगढ़ रोड पर प्रिंटिंग टैक्नालोजी के एक ४५ लाख रुपये की लागत के संस्थान की स्थापना जिसमें हर वर्ष ८० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करेंगे । कोर्स की अवधि तीन वर्ष की होगी ।

२—दक्षिणी दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र में एक तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र खोल कर उद्योग के सहयोग से प्रमाणित आधार पर शिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । आरम्भ में ३० विद्यार्थी भर्ती किये जायेंगे किन्तु अन्ततः यह संख्या १०० तक बढ़ा दी जायेगी । कोर्स की अवधि ४ वर्ष होगी ।

३—डिप्लोमा देने के उद्देश्य से वर्तमान पोलीटैक्नीक में पार्ट-टाइम इवनिंग क्लासिस चालू करना । यहां पर भी आरम्भ में ३० विद्यार्थी प्रशिक्षण लेंगे किन्तु योजना अवधि के दौरान इनकी संख्या १०० तक हो जायेगी । कोर्स की अवधि ४ से ७ वर्ष तक होगी जो प्रशिक्षण के विषय और पाठ्यक्रम पर निर्भर होगी ।

४—तकनीकी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये आवास स्थानों का निर्माण ।

नागरिक सुरक्षा कार्य

घरेलू आग बुझाऊ दलों में ३३४० सदस्यों की तथा २४३ वार्डनों की अतिरिक्त भर्ती की गई । अब इनकी कुल संख्या क्रमशः १०६४० तथा २६३६ है ।

१८७ वार्डनों, ८५९ घरेलू आग बुझाऊ दल के सदस्यों तथा विभिन्न संस्थानों के ८० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया । अब इन प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या क्रमशः २२५६, ४७२० तथा १२७५ है ।

१६७ व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार सहायता तथा ३० को होम-नर्सिंग का प्रशिक्षण दिया गया । इस समय प्राथमिक उपचार सहायता देने वालों की संख्या १६०३० है और होम नर्सिंग के लिये प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की संख्या २१०६ है । प्राथमिक उपचार सहायता केन्द्रों की आवश्यकता के अलावा २५०० व्यक्ति इन प्रशिक्षित लोगों में हैं ।

६ प्राइवेट चिकित्सकों को संकट कालीन स्थिति में उपचार कार्य के लिये प्रशिक्षित किया गया है । इस समय २० गृह उपचारिकायें अस्पतालों तथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं ।

२६ चौकियां सक्रिय हैं तथा वार्डनों की १२ बैठकें हो चुकी हैं । अब तक केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष से ३० सिग्नल प्राप्त किये जा चुके हैं तथा २ को और उनसे सम्बद्ध किया जा रहा है ।

सरोजनी नगर तथा पहाड़ गंज के उप-नियन्त्रण केन्द्रों को छोड़ कर सभी उप-नियन्त्रण केन्द्रों की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है । २५ व्यक्तियों ने वायरलैस आपरेटर का रिफ्रेशर कोर्स पूरा किया ।

विकास

लघु सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये किसानों को ऋण-अनुदान देने के लिये १७.५ लाख रुपये की एक राशि तथा दूसरी ८ लाख रुपये की राशि ट्रैक्टर खरीदने के लिये भारत सरकार द्वारा दी गई थीं । किसानों को तकावी ऋण प्राप्त कराने के लिये नियम व विधि आसान बना दी गई है तथा अब इस उद्देश्य के लिये उन्हें दिल्ली आने की परेशानी से बचा दिया गया है । खण्ड विकास अधिकारियों को ऋण वितरण के अधिकार दे दिये गये हैं ।

केशोपुर, कारोनेशन पिलर तथा ओखला में सिंचाई कार्यों के लिये गन्दे पानी को उपयोग में लाने की एक योजना बनाई गई है । इस योजना के फलस्वरूप (१) यमुना का पानी दूषित होने से बचेगा तथा (२) सिंचाई के लिये वह पानी दिया जा सकेगा जोकि फसलों की सिंचाई के लिये अच्छा माना गया है । किसानों को सिंचाई कार्यों के लिये नजफगढ़ नाले से पानी लेने के लिये पम्पिंग सैट लगाने की सुविधा प्रदान कर दी गई है ।

अधिग्रहित भूमि की उस समय तक बुवाई के उपयोग के लिये एक योजना तैयार की गई है, जब तक कि उसका उपयोग ठीक उस कार्य के लिये नहीं किया जाये जिसके लिये वह अधिग्रहीत की गई है । २००० एकड़ भूमि की सिंचाई करते हुये हम ६०,००० मन अतिरिक्त अनाज प्राप्त करेंगे—ऐसी सम्भावना है ।

किसानों को उन्नत बीज प्रदान करने की दिशा में विशेष ध्यान दिया गया है । १५० एकड़ का एक नया फार्म केशोपुर में स्थापित किया जा रहा है । मैक्सिकन गेहूं का उन्नत बीज नांगलोई फार्म में पैदा किया गया है ।

फार्मिंग के लिये ऋण की अधिकतम सीमा ३००० रुपये से बढ़ा कर ४००० रुपये कर दी गई है ।

छोटी सिंचाई योजना

यमुना के पानी को दूषित न होने देने के लिये कार्पोरेशन ट्रीटमेंट प्लांट से की जाने वाली सिंचाई को रोक दिया गया है।

बिजली के पम्पों द्वारा सिंचाई करने के उपाय किये जा रहे हैं और जब तक यह व्यवस्था नहीं होती हल्के पम्पों को इस्तेमाल किया जा रहा है।

केन्द्र शासित दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में लगभग साल भर में २ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये प्रत्येक चौथाई वर्ग मील पर एक नल कूप लगाने का प्रस्ताव है।

अभी तक दिल्ली में ३३ प्रतिशत खेती योग्य भूमि की उचित रूप से सिंचाई की जाती थी इस योजना को अब प्राथमिकता दी गई है और यह निर्णय किया गया है कि गांवों में उदारता के साथ नलकूपों का इन्तजाम किया जाये। हरियाना और उत्तर प्रदेश सरकारों से उनके राज्यों की नहरों से पानी लेने के सम्बन्ध में बातचीत की गई।

उपज व उत्पादन सम्बन्धी कार्ड

बहु उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत एक "उपज-उत्पादन सम्बन्धी कार्ड" शुरू किया गया है जिसमें किसान द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग में लाये जाने वाले क्षेत्र तथा उसके द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उन्नत बीजों, उर्वरकों तथा कीटाणुनाशकों की मात्रायें विस्तृत रूप से लिखी रहती हैं। यह कार्ड यह भी बताता है कि संकर मक्का, बाजरा तथा धान के बहुउत्पादन के लिये क्या-क्या आवश्यक कार्य करने होते हैं। इन कार्यों का विस्तृत विवरण किसान को इन बातों का ज्ञान कराने में सहायता देता है कि कब बोना, कितनी सिंचाई करनी, कैसे निराई और किस प्रकार कीट नियन्त्रण किया जाये? फसल के समय कार्ड यह भी बतायेगा कि कुल कितनी उपज हुई है और उन्नत कृषि तथा साधारण कृषि से होने वाली आय में कितना अन्तर है।

कृषकों के लिये पास-बुक

प्रशासन ने कृषकों को पासबुक देने की एक प्रणाली का सूत्रपात किया है। इन पासबुकों में उनकी जोत सम्बन्धित सभी सम्बद्ध ब्यौरा दिया होगा। अपनी जोत से सम्बन्धित ब्यौरा लेने के लिये गांव के पटवारी तक पहुँचने की असुविधा से कृषक बचेंगे। प्रत्येक वर्ष फसल के बाद पटवारी पासबुक में आवश्यक इन्दराज करेगा। भूमि का अभिलेख रखने सम्बन्धी आरोपित भ्रष्टाचार बहुत बड़ी सीमा तक दूर हो जायेगा। पासबुक में इन्दराज करने की फीस ५० पैसे होगी। कृषकों से इकट्ठा किया हुआ पैसा सरकारी खाते में जमा किया जायेगा।

—:०:—

जनसंघ दल महानगर परिषद्, दिल्ली के लिये श्री राम प्रकाश गुप्ता द्वारा नवलिया प्रिंटिंग प्रेस, नई सड़क दिल्ली में मुद्रित व प्रकाशित।

नाम	टेलीफोन कार्यालय	टेलीफोन निवास	पता
१४. श्री केदार नाथ सचदेव	४२०२६	६१७४१३	जे० आई०/६ सुजानसिंह पार्क, नई दिल्ली
१५. श्री कृष्ण लाल (कोषाध्यक्ष)	२६११६२	२६११६२	२७६०, चीरा खाना दिल्ली
१६. श्री लोकवीर सिंह			डब्ल्यू० जैड १६६१, नांगल राय नई दिल्ली
१७. श्री मदन लाल खुराना (मुख्य सचेतक)	५६८२०६	२७२२१०	४४५४, शोरा कोठी पहाड़ गंज नई दिल्ली
१८. डा० ओंकार सिंह			एन-११, ग्रीनपार्क एक्सटेंशन नई दिल्ली
१९. श्री परमेश्वरी दास			५२५/२२, खेड़ा, ग्रांड ट्रंक रोड, शाहदरा
२०. श्री प्रेम चन्द गुप्ता	४७८८७	२२८५४४	४/१७ रूप नगर दिल्ली
२१. श्री रामबाबू महेश्वरी	२६८२४६		VIII/१०६६, गली राजा उग्रसैन, बाजार सीताराम दिल्ली
२२. श्री राम भज			सी ४३६ सरोजनी नगर नई दिल्ली
२३. श्री आर० के० भारद्वाज	२६६५८४		६६२६, कोठी मेम, बहादुरगढ़ रोड बाड़ा हिन्दूराव दिल्ली
२४. श्री रामनाथ विज	२२४७६७	५७४३०	२४३ डबल स्टोरी, न्यू राजेन्द्रनगर नई दिल्ली
२५. श्री रामप्रकाश गुप्त (मन्त्री)	२६२००३	२६५४०२ २६१६६५	६०/१, गली राजा केदार नाथ चावड़ी बाजार दिल्ली
२६. श्री सांवलदास			४८० महावीर नगर कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली

नाम	टेलीफोन कार्यालय	टेलीफोन निवास	पता
२७. श्री सत्य पाल गुप्त	२२६८६१		वार्डन हाउस करोड़ी मल कालिज दिल्ली
२८. श्री शिव नाथ			१७४६, बस्ती जुलाहन सदर बाजार
२९. श्री श्री चन्द्र			२७४, रामपुरा दिल्ली
३०. श्री सोमदेव आर्य		२२३०५६	६७६ मुख्य बाजार सब्जी मंडी दिल्ली
३१. श्री सोमनाथ	२१२५१५		४६६/४A/८० सुभाष मोहल्ला नं० २ गली नं ४ गांधी नगर दिल्ली
३२. श्री श्यामापद बैनर्जी		७२८७६	एन/६, कैलाश कॉलोनी
३३. श्री तिलक राज वर्मा			सी-१४ सुदर्शन पार्क नई दिल्ली
३४. श्री ब्रह्म प्रकाश बंसल	४२०२१	२२६८६८	२४, श्रीराम मार्ग सिविल लाईन दिल्ली
३५. श्री वशिष्ठ कुमार पुष्करने			१७/४ सुभाष नगर नई दिल्ली

—: ॐ :—